न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख अंतिम निर्णय
1/73/2022	13.05.2022	28.06.2022

बउनवान

1–धर्मेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री रामकिशन अग्रवाल जाति महाजन आयु करीबन 61 साल निवासी 17 लाजपत नगर, विजय मंदिर रोड अलवर हाल विवेक विहार स्कीम नम्बर 10

बनाम

1– अशोक पुत्र रंगबिहारीलाल निवासी 479 स्कीम नम्बर 2 अलवर राज0
2–औमप्रकाश पुत्र रंगबिहारीलाल निवासी 479 स्कीम नम्बर 2 अलवर अराज0
3–चन्द्र प्रकाश पुत्र जुगमिन्दरलाल जाति जैन निवासी अलवर राज0 खातेदार ग्राम बल्लाबोडा तहसील व जिला अलवर
4–नवीन कुमार पुत्र जुगमिन्दरलाल जाति जैन निवासी अलवर राज0 खातेदार ग्राम बल्लाबोडा तहसील व जिला अलवर
5–पंकज कमार पुत्र जगदीश प्रसाद जात महाजन निवासी 550 विजय नगर अलवर राज
6–प्रवीण कुमार पुत्र जुगमिन्दरलाल जाति जैन निवासी अलवर राज0
7–खातेदार ग्राम बल्लाबोडा तहसील व जिला अलवर मोतीलाल पुत्र बुद्वाराम जाति जाट निवासी लखण्डवाला कुआ अलवर राज0
8–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालाखेडा लैण्ड होल्डर।

––प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा–53,188
राज.काश्कारी अधिनियम 1955

अंतिम निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 635 रकबा 0.2400 हैक्टेयर खाता या 178 एवं आराजी खसरा नम्बर 633 रकबा 0.2500 हैक्टेयर खाता संख्या 100 वाके ग्राम बल्लाबोडा तहसील व जिला अलवर में स्थित है। उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 635 रकबा 0. 2400 हैक्टेयर में वादी 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण अशोक.1/9हिस्सा, ओमप्रकाश 1/9 हिस्सा, चन्द्र प्रकाश 7./72 हिस्सा, नवीन कुमार 7/72 हिस्सा, पंकज कुमार 1/9 हिस्सा, प्रवीण कुमार 7/72 हिस्सा, मोतीलाल 1/24 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यह कि उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 633 रकबा 0.2500 हैक्टेयर में वादी 8/25 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण अशोक 3/25 हिस्सा, ओमप्रकाश 3/25 हिस्सा, चन्द्र प्रकाश 2/25 हिस्सा, नवीन कुमार 2/25 हिस्सा, पंकज कुमार 3/25 हिस्सा, प्रवीण कुमार 2/25 हिस्सा, मोतीलाल 2/25 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। जो कि राजस्व रिकार्ड हाल जमाबंदी से स्पष्ट है। उपरोक्तानुसार विवादित आरजीयात के वादी एवं प्रतिवादी सं.1 ला.7 सहखातेदार काश्तकार है तथा अपने अपने हिस्से अनुसार शामलात में काश्त करते चले आ रहे है तथा सभी. पक्षकारान उक्त आराजी में अपने अपने हिस्से अनुसार आराजी के प्रत्येक इंच में अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त विवादित आराजीयात अबट आराजी है जिसका आज तक

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with CamScanner

किसी भी प्रकार से बटवारा नही हुआ है तथा शामिल में काश्त करते चले आ रहे है । प्रतिवादी संख्या सं.1 ला.7 व मिन वादी के मध्य आये दिन कब्जे काश्त को लेकर कहा सुनी होती रहती है तथा कब्जे काश्त को लेकर तनाजा रहता है। और पक्षकारान शांतिमय तरीके से अपने अपने हिस्से की आराजी को काश्त नही कर पा रहे है। ऐसी स्थिति में अब मिन वादी का शामलात में उक्त आराजी पर काबिल रहकर काश्त करना सम्भव नही है । और वादी विवादित आराजी में उपरोक्तानुसार अपना हिस्सा अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी तकसीम कराने का अधिकारी है कि यदि प्रतिवादी सं.1ला.7 ने वादी को आराजी मुतनाजा से जबरन बेदखल कर अच्छी अच्छी आराजी पर कब्जा कर लिया या किसी तरह का या मि वादी को काश्त नहीं करने दिया तो मिन वादी को भारी ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नही की जा सकेगी तथा मिन वादी तबाह बरबाद हो जायेगा। इसलिए प्रतिवादी सं.1 ला.7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है। आराजी मुतनाजा वाके ग्राम बल्लाबोडा तहसील व जिला अलवर में स्थित है अतः दावा वादी पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगण 1ला.7 निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि डिक्री तकसीम आराजी इस आश्य की पारित की जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर वाके ग्राम बल्लाबोडा तहसील व जिला अलवर में स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 635 रकबा 0.2400 हैक्टेयर खाता संख्या 178 में से वादी का 1/3 हिस्सा एवं आराजी खसरा नम्बर 633 रकबा 0.2500 हैक्टेयर खाता संख्या 100 में से वादी का 8/25 हिस्सा अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी मे से बरी तकसीम किया जाकर अलग खातावंदी की जावे एवं अलग लगान कायम की जावे। प्रतिवादी सं.1ला.7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद फरमाया जावे कि वादी के हिस्से की आराजी में कुल कार्य काश्तकारी फसल बोने काटने लाने व ले जाने आदि में किसी प्रकार की कोई रूकावट मजाहमत पैदा ना करें। मौके की स्थिति यथावत रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गयें। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से एडवोकेट द्वारा अन्डरटेकिंग दी गई। किन्तु कोई जवाब आदि पेश किया ना ही वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 01 लगा. 03 व 07 की पता सही नही होने के कारण तामील अदम में प्राप्त होने पर उक्त प्रतिवादीगण की जरिये अखबार साया तलबी करवाई गई। प्रतिवादीगण 1 लगा. 03 व 07 की जरिये अखबार तलवी होने के बावजूद उपस्थित नही होने पर उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्व इकतरफा कार्यवाही की गई। वकीलवादी ने कथन किया कि वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राज.काश्त.अधि. पेश किया है। वादी अपने हिस्से की आराजी की तकसीम कराकर अलग खाता कराना चाहता है। वाद प्रारम्भिक डिक्री फरमाया जाकर तहसीलदार अलवर से कुरेजात तलब फरमाया जावें।

वाद दिनांक 07.06.2022 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 635 रकबा 0.2400 है0, 633 रकवा 0.2500 है0 वाके ग्राम बल्लाबोडा अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी के मौके पर कुरेजात कायम कर कुरेजात रिर्पोट तहसीलदार अलवर से तलब किये गये। तहसीलदार अलवर ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2022/6640 दिनांक 24.06.2022 द्वारा प्रश्नगत आराजी के कुर्रेजात भिजवाये। हमने कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया। कुर्रेजात रिपोर्ट मुताबिक रिकार्ड सही होना प्रतीत होती है। वकीलवादी ने मुताबिक कुर्रेजात वाद अंतिम डिक्री करने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक कुर्रेजात निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट निर्णय का जुज माना जावेगा।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with CamScanner

क्र.स.	नाम खातेदार मय हिस्सा	ख.न.	रकबा	किस्म
1	धमेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र रामकिशन अग्रवाल जाति महाजन निवासी 17 लाजपत नगर विजय मंदिर रोड अलवर हाल विवेक विहार स्कीम न. 10 अलवर	635 मि0 633 मि0	0.08 0.08	बारानी– I बारानी–I
	किता	02	0.16है0	
2	ओमप्रकाश पुत्र रंगबिहारीलाल नि0 479 स्कीम न. 02 अलवर जाति मोदी हि. 1/2 पंकज कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति गुप्ता नि0 550 विजय नगर अलवर हि. 1/2 खातेदार	633 मि0 635 मि0	0.0600 0.0533	बारानी– I I बारानी–I I
	किता	02	0.1133 है0	
3	अशोक कुमार पुत्र रंगबिहारी लाल जाति मोदी नि. 479 स्कीम न. 02 अलवर हि. 567/2167, चन्द्रप्रकाश पुत्र जुगविन्दर लाल जैन जाति जैन हि. 434/2167, नवीन कुमार पुत्र जुगविन्दर लाल जाति जैन हि. 433/2167 प्रवीण कुमार पुत्र जुगविन्दरलाल जाति जैन हि. 433/2167, मोतीलाल पुत्र बुद्धाराम जाति जाट हि. 300/2167 नि. लखण्डा वाला कुंआ अलवर खातेदार	633 मि0 635 मि0	0.1100 0.1067	बारानी– I I बारानी–I I
	किता	02	0.2167 है0	

तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with CamScanner